राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1217/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट प्रथम,चित्तौडगढ — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रियंका कंस्ट्रक्शन
चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

अपील संख्या 1218/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट प्रथम,चित्तौडगढ — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स महेश राठौड
चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

अपील संख्या 1219/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट प्रथम,चित्तौडगढ — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अजन्ता कंस्ट्रक्शन
चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री एस.के.गंगवानी
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 23.2.2015

निर्णय

ये तीनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम,चित्तौडगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 19, 20 उपं 24/वैट/2013–14/चित्तौडगढ में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 28.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। तीनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत आलोच्य अवधि 2009–10 के कर निर्धारण पृथक–पृथक आदेश 10.04.2013 को पारित कर कर आरोपित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्तियॉ आरोपित की गई हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्तियों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी कें समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर,, उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006(जिसे आगे नियम कहा जायेगा)

के नियम 48 की पूर्ति नहीं करने के कारण अर्थात् बिना नोटिस जारी किये बिना ही आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निदेर्शित किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों को कर पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करें। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2014 के विरूद्ध ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलीर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि कर निर्धारण आदेश पारित समय प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया गया है कि वक्त कर निर्धारण प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर कर निर्धारण पुनः पारित किया जावे, जिसके आधार पर ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, जिससे अधिनियम अथवा नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त कर विभाग की ओर से प्रस्तु अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि कर एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है,इसलिए आरोपित शास्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि नियम नियम 48 की पालना नहीं की गई है, इसलिए आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन संयुक्त निर्णय पारित किया है,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का औचित्य नही है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया। ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने द्वारा कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यहारियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं विशिष्ठ नोटिस दिये बिना अपंजीकृत खरीद बढाई जाकर करारोपण किया गया है तथा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्तियॉ आरोपित की गई है,जो नियम 48 के प्रावधानों के विरूद्ध हैं। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 को उद्धृत किया जाना समीचीन है,जो इस प्रकार है :–

"65. Opportunity before imposition of penalty. – No penalty under this Act shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the dealer or the person concerned."

नियम 48 निम्न प्रकार है :–

"48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,- Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard."

अधिनियम एवं नियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार करारोपण से पूर्व व्यवसायी को विशिष्ठ नोटिस दिया जाना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना विधिक रूप से आवश्यक है, जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त प्रावधानों को अपीलाधीन संयुक्त निर्णय दिनांक 28.01.2014 में उद्धरित करते हुए करारोपण एवं आरोपित शास्ति को विधिक नहीं मानते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये है,जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2014 को यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य